भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1765

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

एसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए ऋण प्रक्रियाओं का सरलीकरण

1765. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आरआरबी ने आर्थिक अनिश्चितता के बीच छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने और ऋण के सरलीकरण के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो वैश्विक प्रशुल्क मुद्दों का समाधान करने, आर्थिक विकास को स्थिर करने के लिए पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने और भारतीय व्यवसायों को बाह्य आर्थिक झटकों से बचाने के लिए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोन डिफॉल्ट और बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता के शून्य जोखिम वाले ऋण प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एमएसएमई क्षेत्र के ऋण प्रवाह में सुधार की प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पहचान की है। वर्तमान में वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, आरबीआई के पास वैश्विक टैरिफ मुद्दों का समाधान करने और आर्थिक विकास को स्थिर करने तथा भारतीय व्यापार को बाहरी आर्थिक आघातों से बचाने के लिए पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

II. जबकि, आरबीआई द्वारा वैश्विक टैरिफ मुद्दों का समाधान करने के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है, आरबीआई एमएसएमई क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक उपाय करता है जैसा कि उत्तर के पैरा III में वर्णित है।

III. एमएसएमई क्षेत्र सहित बैंकों द्वारा उधार में एनपीए की घटना कई कारकों के कारण होती है, जिसमें समष्टि आर्थिक स्थितियां, क्षेत्रीय मुद्दे, वैश्विक व्यापारिक वातावरण, उधारकर्ता संस्थाओं में अभिशासन संबंधी मुद्दे आदि शामिल हैं। एमएसएमई की सहायता के लिए किए गए उपायों का उद्देश्य इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाना और क्षेत्र में व्यवसायों के समग्र ऋण स्थिति में सुधार करना है। एमएसएमई के लिए वहनीय तरीके से उधार लेने की प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ऋण एवं वित्त तक पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

i. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दिनांक 4.9.2020 के दिशानिर्देशों में एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

ii. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए संपार्श्विक स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया गया है।

iii. बैंकों द्वारा 5 करोड़ रु. तक की उधार सीमा के लिए इकाई के अनुमानित वार्षिक कारोबार के न्यूनतम 20% की सरलीकृत पद्धति के आधार पर एमएसई इकाइयों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की गणना की जाएगी।

iv. सूक्ष्म और लघु उद्यमों को उनके 'जीवन चक्र' के दौरान समय पर और पर्याप्त ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए ऋण प्रवाह को युक्तिसंगत बनाना।

v. बैंकों को यह सलाह दी गई है कि एमएसई क्षेत्र में इकाइयों में 25 लाख रुपये तक के ऋण के लिए समय-सीमा 14 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vi. एमएसएमई को भुगतान में देरी की समस्या को हल करने के लिए ट्रेड रेसिवेबल्स डिसकाउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) का परिचालन शुरू कर दिया गया है।

vii. मौद्रिक नीति के बेहतर प्रसारण के लिए आरबीआई ने बैंकों को दिनांक 01.10.2019 से एमएसई और दिनांक 01.04.2020 से मध्यम उद्यमों के लिए सभी नए अस्थिर दर वाले ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की सलाह दी है।

viii. अकाउंट एग्रीगेटर (एए) फ्रेमवर्क: विनियामक के रूप में रिजर्व बैंक ने नए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया है। आरबीआई ने एए फ्रेमवर्क की सुविधा प्रदान की है जिसके तहत ग्राहक की वित्तीय आस्तियों से संबंधित जानकारी ऐसी जानकारी के धारकों (वित्तीय सूचना प्रदाताओं) से एकत्र की जाती है और ग्राहकों अथवा विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ताओं (वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं) को प्रस्तुत की जाती है।

ix. एकीकृत उधार इंटरफेस (यूएलआई): आरबीआई ने यूएलआई विकसित किया है जिसे पहले बाधा रहित ऋण (पीटीपीएफसी) के लिये सार्वजनिक तकनीकी प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता था, जो दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को कम करके और ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाकर अल्पसेवित आबादी, जैसे छोटे व्यवसायों के लिये ऋण को अधिक सुलभ बनाकर भारत में ऋण परिदृश्य को बदलने के लिये तैयार है।

*****